

समाज कल्याण विभाग, लखनऊ

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (नेशनल फैमिली बेनीफिटस्कीम)
के अन्तर्गत आर्थिक सहायता(अनुदान)स्वीकृति के लिए आवेदनपत्र

पासपोर्ट साइज
फोटो

1. आवेदक का नाम _____
पिता का नाम _____
2. पूरा पता ग्राम _____ पोस्ट _____ विकास खण्ड _____
तहसील _____ जिला _____
3. मृतक का नाम _____ जाति _____
4. मृतक का पूरा पता _____
5. मृत्यु की तिथि समय व स्थान _____
6. मृत्यु का कारण _____
7. मृतक का पेशा _____
8. मृत्यु की दिनांक को मृतक की उम्र _____
9. मृतक के परिवार की वार्षिक/मासिक आमदनी _____
10. आवेदक का मृतक से सम्बन्ध _____
11. मृतक के आश्रितों का विवरण _____
12. खाता संख्या _____
स्थान _____
दिनांक _____

आवेदक के हस्ताक्षर/नि०अं०

प्रमाणित किया जाता है कि मृतक परिवार की आय का मुख्य साधक था। मृतक के परिवार में किसी भी सदस्य को किसी भी विभाग द्वारा कोई पेंशन/आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई है। आवेदन-पत्र में किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं गया है। आवेदन-पत्र में जो सूचना दी गई है वह असत्य और यदि गलत पाई जाये तो प्राप्त आर्थिक सहायता की धनराशि सरकार को वापस कर दूँगा/दूँगी।

आवेदक के हस्ताक्षर/नि०अं०

नोट : आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे अन्यथा आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

1. मृतक परिवार के आय का मुख्य साधक था तथा परिवार की कुल वार्षिक आय का प्रमाण-पत्र तहसीलदार/उपजिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मान्य होगा।
2. मृतक की उम्र का प्रमाण-पत्र।
3. मृत्यु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।